श्रीमान परगना अधिकारी महोदय, - [illegible]

श्रीमती [illegible] सिंह — आपत्तिकर्ती

बनाम

नरेन्द्र आदि — उत्तरदातागण

बाबत निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-09

श्रीमानजी,

Recd 14.12.09

[illegible]

निवेदन है कि उत्तरदाता सं01 द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि आपत्तिपत्र के दोनों पेज पर आपत्तिकर्ती के हस्ताक्षर या निशान नहीं है। यहां तक कि अधिवक्ता महोदय के हस्ताक्षर हैं उनका वकालत नामा नहीं लगा है। अतः आपत्ति पोषणीय नहीं है।

इसके जवाब में कहना है कि आपत्ति, आपत्तिकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और वह पोषणीय होगी। वर्तमान आपत्ति पर आपत्तिकर्ती के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार सिंह एड0 के हस्ताक्षर है और उनका वकालत नामा भी पत्रावली में संलग्न है। इसतरह से आपत्तिकर्ती की आपत्ति विधि के प्राविधानों के अनुरूप दाखिल है और वह पोषणीय है।

चूंकि उत्तरदाता का प्रार्थना-पत्र सही विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। अतः निरस्त होने योग्य है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उत्तरदाता के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 10-10-09 निरस्त करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।

दिनांक:- 26.11.09

आपत्तिकर्ती-

T.C.

26/11/09

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये RUPEES

CANCELLED

2 रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

CANCELLED

A/P 7-

5-6-12

1669 x2 दिनांक 05-6-12

05-6-12

05/6/12

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 30-5-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद कृत R.No 1252 वर्ष 11-12 धारा 219 भू०रा० अधिनियम जनपद सुल्तानपुर

मो० उमर बनाम मालती सिंह आदि।

आदेश दिनांक 30-5-12 की छायाप्रति संलग्न है

1669x2

05-6-12

CANCELLED

2/p

5/6/12

1669X2 दि० 5-6-12

5-6-12

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 31-5-12 पारित
द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक) इन RN16/252(11-12)
धारा 219 भू०रा० अधिनियम जनपद सीतापुर द्वारा:-
मो० उमर आदि बनाम मालती सिंह आदि

आदेश

पत्रावली पर उभयपक्षों को सुना। पूर्व पारित स्थगनादेश आगामी नियत तिथि 26-07-12 तक बढ़ाया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि

5-6-2012

ह०
(दीना नाथ गुप्ता)
अपर आयुक्त (न्यायिक)
लखनऊ मण्डल लखनऊ
दि० 31-5-12

1669X2
05-6-12

न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक) लखनऊ, मण्डल लखनऊ
नि० नं०- 1252/11-12   V.S   21/1/2011
मो० उमर   V.S   मालती सिंह
लम्बर सीतापुर

आदेश

निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वकालतनामा अभी प्रस्तुत नही किया गया है एक दो दिन मे वकालतनामा प्रस्तुत किया जायेगा। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। निगरानी विचारार्थ स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाय। दिनांक 31-5-12 तक अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। पत्रावली नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

3/5/12

(दीनानाथ [illegible])
अपर आयुक्त (न्यायिक)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

सत्य प्रतिलिपि

अपर आयुक्त (न्यायिक)
लखनऊ मण्डल लखनऊ

25-5-16

25-5-16

596
25-5-16

[illegible] कौशिक पुत्र उ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] A/c No:- 1252/1172
0151/19/RAI [illegible] [illegible] [illegible]
पैसे जमा

[illegible] सिंह 45 [illegible] सिंह

[illegible] सिंह
5-7-16

कौशिक पुत्र उ०-[illegible] ने [illegible] [illegible] है।

प्र० पत्र आने की तिथि...... 596/25-5-96

तैयारी की तिथि...... 25-5-96

जारी करने की तिथि...... 25-5-96

25-5-96

2=7/5

25-5-96

596

25-5-96

TWO RUPEES

TWO RUPEES

TWO RUPEES

FOR COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES

TWO RUPEES

केवल नक

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made to copy accompanied by therequisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना दी Date of posting noted on notice board	नकल वापिस दिये जाने तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official behvering copy
3-9-13 तीन सितम्बर सन दो हजार तेरह	5-9-13 पाँच सितम्बर सन दो हजार तेरह	5-9-2013	5-9-2013

②

न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक) लखनऊ मण्डल लखनऊ
R.No 1252 वर्ष (11-12) धारा 219 भू०रा०अ
मो० इस्म बनाम मालती सिंह
31-5-12
A-26-7-12

आदेश

निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना।विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वकालतनामा अभी प्रस्तुत नही किया गया है एक दो दिन मे वकालतनामा प्रस्तुत किया जायेगा। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। निगरानी विचारार्थ स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाय। दिनांक 31-5-12 तक अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। पत्रावली नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

30/5/12
(दीनानाथ गुप्ता)
अपर आयुक्त (न्यायिक)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

सत्य प्रतिलिपि

05-6-12

1669/12
05-6-12

(५)

(३)

ादी के लिये अधिवक्ता श्री

और प्रतिवादी के लिये अधिवक्ता

ी उपस्थिति में इस वाद के आज

दमा अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञप्त दिया जाता है कि—

copy of order dated 23-4-80 (Paper no. 25 Ka-1) passed in civil misc. case No. 22 of 80 Mohd. Umar vs U.P. State etc, to made part of this decree.

M. Jain 23/4

Munsif Biswan
at SITAPUR
23.4.80.

और इस वाद के खर्च मद्दे रुपये की राशि आज की तारीख से अदायगी की

तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

द्वारा को दी जाय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक २९ मास , सन् १९ ई० को दी गई।

न्यायाधीश।

(पी० के० जैन)
[illegible]
[illegible]

①/②

फोटो प्रति

5551/37
श्री किशोरकान्त तिवारी
नि०ग्रा. 8.90
W.E. 600

नकल डिग्री पारित द्वारा
न्यायालय श्रीमान मुंसिफ [illegible]
महोदय ललितपुर

दीवानीवाद सं० 106/79
दायरा 23-5-79
ता० फैसला 21-2-80

उनवान

मो० इरशाद उमर ——— वादी

बनाम

सरकार उ० प्र० द्वारा कलेक्टर ललितपुर
प्रतिवादी

न्यायालय श्रीमान [illegible] हरदोई

[illegible]

मो॰ [illegible] आयु ४२ साल पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला हरदोई ———— प्रार्थी

बनाम

१- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जनपद हरदोई।

२- [illegible] आयु ५५ साल पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला हरदोई [illegible] ———— विपक्षीगण

सूचना

सरकार ———— वादी

बनाम

[illegible] ———— प्रतिवादी

मुकदमा [illegible] ग्राम [illegible] तहसील [illegible] मौजा [illegible] हरदोई।

तारीख पेशी [illegible]

[illegible]

मोहर,

प्रार्थी प्रस्तुत [illegible]

[illegible] हरदोई [illegible]

न्यायालय श्रीमान नियत अधिकारी सीलिंग/अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई
हरदोई

वाद सं०
ग्राम- [illegible]
प०- [illegible]
जि०- हरदोई
सीलिंग वाद [illegible]
पेशी- 04-06-2011

मो० उमर ———— प्रार्थी
बनाम
राज्य उ०प्र० आदि ———— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थी मो० उमर वास्ते दाखिल करने आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ के अनुपालन शीघ्र निर्णय वाद

श्रीमान,

उक्त वाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रार्थी मो० उमर द्वारा सीलिंग वाद सरकार बनाम कृष्ण प्रताप सिंह के सम्बन्ध में योजित किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विगत कई वर्षों से लम्बित है और उसका निस्तारण विपक्षीगण के उपस्थित होने के बाद भी अब तक नहीं हो सका है। उक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं. 2729/11 प्रस्तुत हुआ जिस पर सुनवाई के उपरान्त न्यायमूर्ति द्वारा दि. 5.5.11 को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया है। निर्णय दि. 5.5.11 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

न्यायालय श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के निर्णय दि. 5.5.11 के निर्देश के अनुसार वाद का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र गुण-दोष के आधार पर करने की महती कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त वाद का निस्तारण शीघ्राति शीघ्र करने की महती कृपा करें।

अति कृपा होगी

दिनांक 04/06/2011

प्रार्थी
मो. उमर
(मो० उमर)

5/9/13

সত্যায়িত প্রতিলিপি
প্রধান প্রতিলিপিকার
কেন্দ্রীয় প্রতিলিপি বিভাগ
[illegible]
[illegible]

5

(५)

वाद के खर्चे

वादी	रु०	पै०	प्रतिवादी	रु०	पै०
१—वाद-पत्र के लिये मुद्रांक	125	25	१—प्रतिवाद-पत्र के लिये मुद्रांक		
२—ओकालतनामे के लिये मुद्रांक	1	50	२—ओकालतनामे के लिये मुद्रांक		
३—प्रदर्शों के लिये मुद्रांक	3		३—अधिवक्ता की फीस		
४—अधिवक्ता की फीस ५० रु०	—	—	४—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		
५—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	—	—	५—आदेशिका की तामील		
६—कमीशन निष्पादक की फीस	—	—	६—कमीशन निष्पादक की फीस		
७—आदेशिका की तामील	1	20			
८— [illegible]	1	20			
योग ..	144	25	योग	NIL	

Perused 23.2.20

5/2/020

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

न्यायालय प्रौसिद्ध सिविलों (खास सीतापुर)
मोहम्मद उमर बनाम अल्ला (उमरदीन)
विविध दीवानी नम्बर २७ सन ८०.

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वादी ने अन्तर्गत आर्डर नामंजूरी में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के अनुसार दि० २१-२-८० को उपरोक्त मुकदमा वादी के विरुद्ध किया गया। उसमें कुछ अनुचित दिए गए जो गलत हैं। अतः उन पर पुनर्विचार आवश्यकता है। वादी ने यह भी कहा है कि १०० से अधिक के बन्धकपत्र का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। केवल विक्रयपत्र का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तथा अगर कोई प्रपत्र स्टैम्प की कमी के कारण अमान्य हो और साक्ष्य में पढ़ लिया गया है तो उस पर कमी स्टैम्प मानी जाएगी मगर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा धारा २१ सम्बन्धी अधिनियम बन्धक के मामलात के लिए है। धारा २१ सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत डिग्री को बन्धक अदालत में एतराज है तो कर सकता है। धारा २ सम्बन्धी अधिनियम का उस पर कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार धारा २१ उपरोक्त अधिनियम में लिया गया निर्णय अधिकारों के सम्बन्ध में नहीं पढ़ा जा सकता। अतः उस पर भी गौर नहीं किया गया। इसलिए इस प्रार्थनापत्र की आवश्यकता हुई।

मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी को सुना तथा इस वाद में प्रस्तुत कागजात को ध्यान से अवलोकन किया जो फार्म नम्बर २२ वादी ने प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने बन्धक के मामले में एतराज किया था जो निरस्त किए गए। उसका इन्द्राज फार्म २२ में किया गया है। अतः

P.T.O.

किसी अधिकार को दिया, बन्दोबस्ती न्यायालय में नहीं। जो इस कारण धारा ४९ चकबन्दी अधिनियम से मुकदमा बाधित नहीं है। वादी की ओर से यह भी कहा की गई कि अगर किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कागज ऐसा रजिस्टर्ड ना है तो बिना रजिस्टर्ड है तो भी चूंकि सम्प, पर उस व्यक्ति का कब्जा है यह कागज कब्जे के सम्बन्ध पढ़ी जा सकती है। और अगर कब्जे से कोई अधिकार मिलती है तो कायम कब्जे के बिना पर अपने अधिकारों की घोषणा कर सकता है यदि कोई कायम उसके कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो उसको हस्तक्षेप करने से मना कर सकता। मैंने इस पर पुनर्विचार किया और यह पाया कि यह सही है कि कोई भी कागज कानून में मान्य हो तो उसको कब्जे के सम्बन्ध में पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार वादी का कब्जा विवादित भूमि पर साबित है। उसने शपथपत्र पर बयान किया है कि विवादित भूमि पर वह काबिज चला आता है। जो बैनामापत्र वादी ने प्रस्तुत किया है उससे भी यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा सन १९४ से चला आ रहा है और धारा १५४ जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत उसको इसमें अधिकार प्राप्त हो गए। वह मांगी याचना पाने का अधिकारी है।

आदेश

प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का दावा मुकदमा नम्बर १०५ सन ७८ मोहम्मद उमर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एकतरफा सव्यय डिग्री किया जाता है। यह आदेश डिगरी का अंश रहेगा।

Sd/- V.K. Jain, 23.8.80.
मुंसिफ बिसवाँ,
सीतापुर।

दिनांक:- २३-८-८०.

copied by:- BSSingh

H. C. J. No. IV–29.

मूल वाद में अर्जी

(आदेश २०, नियम ६-७)

जिला

स्थान

न्यायालय

सन् १९ ई०

भाग

संक्षिप्त-विनाक

वादी

न्यायालय का नाम--
वाद संख्या--
पक्षकारों के नाम--

बनाम

प्रतिवादी

को छोड़कर

टिप्पणी—जो पते ऊपर लिखे गये हैं, वह पक्षकारों ने को उपस्थित नहीं हुये, तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

के लिये दावा

3312
19

श्री [illegible] 2332

WA 500

①

फोटो कापी नकल आदेश दिनांकित 21-2-80 जारी द्वारा न्यायालय श्रीमान मुंसिफ महोदय बिसवां जनपद सीतापुर

दी० वाद सं० 106/79

दायरा - 23-5-79

फैसला - 21-2-80

उनवान

मोहम्मद उमर आयु 28 वर्ष पुत्र अजीज अहमद निवासी मकान पाराना तम्बोर तहसील बिसवां जिला सीतापुर। ——— वादी

बनाम

सरकार उ० प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय सीतापुर। ——— प्रतिवादी

2 TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

3312/11

केवल नकल फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made to copy accompanied by therequisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना दी Date of posting noted on notice board	नकल वापिस दिये जाने तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official behvering copy
12/5/11 बारह मई सन दो हजार ग्यारह	18/5/2011 अट्ठारह मई सन दो हजार ग्यारह	20/5/11	20/5/11

5 COURT FEE ५ रु.

पाँच रुपये
FIVE RUPEES

5 COURT FEE ५ रु.

भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

2 Stamp

मूल्य 10 रुपये

04/1/09

13- यह कि सन 1984 में विपक्षी राजा कृष्णाप्रताप सिंह का देहान्त हो ग है और विपक्षी सं02 दिव्यप्रताप सिंह पुत्र होने की हैसियत से कृष्णाप्रताप का उत्तराधिकारी हुआ है जो इससे पूर्व चलायी गयी कार्यवाही में भी उत्तराधिकारी पक्षकार बनाया गया है और इस कार्यवाही में भी पक्षकार बनाया गया है।

14- यह कि विपक्षी राजा दिव्य प्रताप सिंह पुत्र स्व0 कृष्णाप्रताप सिंह के अभी भी काफी जमीन ग्राम सवायजपुर आदि गांवो में स्थित है समग्र को हुए एवम प्रस्तुत वाद के तथ्यो को तथा सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयो आदेश व प्राविधानो को मद्देनजर प्रार्थी एवम उत्तर प्रदेश सरकार दोनो हितो की रक्षा के लिए विवादित भूखण्डो के सीलिंग के अन्तर्गत Surplus घोषित किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करके विवादित आराजी को सी से मुक्त करके ग्राम सवायजपुर अथवा अन्य कहीं विपक्षी कृष्णाप्रताप सिंह को को उसके एवज में Surplus land का घोषित किया जाना जरूरी है ताकि प्रार्थी भविष्य में सरकार द्वारा किए जाने वाले उत्पीडन बच सके।

15- यह कि उपरोक्त कार्य हेतु न्यायहित में उपरोक्त वाद में सीलिंग लैण्ड का Redetermination होना एवम उसके अन्तर्गत विवादित आराजियात Surplus land होने से मुक्त किया जाना एवम उसके एवज पर ग्रा सवायजपुर में विपक्षी सं02 की भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत Surplus land घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि मुकदमा की मूल पत्रावली को तलब करके आवश्यक कार्यवाही के बाद सीलिंग लैण्ड का Redetermination करके विवादित आराजी की सीलिंग लैण्ड Surplus land से मुक्त कि जाय और उसके स्थान पर ग्राम सवायजपुर या अन्य जगह स्थित विपक्षी सं की भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत Surplus land घोषित किया ज महान दया होगी।

प्रार्थी :

मो0 उमर -------------- उपरोक्त

द्वारा अधिवक्ता

दिनांक 10-7-2000ई0

श्री मुन्ना लाल गुप्त एडवोकेट हरदोई।

सत्य प्रतिलिपि
4/1/08
पेशकार
अपर आयुक्त / अपर जिलाधिकारी
हरदोई

शान्तिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया, और इस निषेधाज्ञा आदेश की बाद में पुष्टि भी कर दी गयी ।

10- यह कि सन 1981 में प्रार्थी ने विवादित आराजियात पर खाडे गन्ना पेराई हेतु सरकार से लाइसेन्स देने का भी आवेदन किया परन्तु इस आवेदन पत्र को खारिज करने पर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की जिसमे दिनांक 28-2-1982 को माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित करके गन्ना पेराई करने का आदेश दिया ।

11- यह कि इसके अतिरिक्त इसी बीच में उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज टैक्स ऐक्ट सन 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी पर Sugar Cane Purchase भी लगाया गया जिस कार्यवाही के दौरान डिप्टी शुगर केन कमिश्नर द्वारा दिनांक 14-5-1985 को आदेश पारित करके विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा स्वीकार किया गया ।

12- यह कि इस प्रकार प्रार्थी विवादित आराजियात पर सन 1975 से लगातार काबिज चले आने के कारण और इस कब्जे की मान्यता विभिन्न समय में सक्षम अधिकारियो एवम न्यायालयो द्वारा स्वीकार करने के एवम विवादित आराजियात का लगान सिचाई आदि देने के कारण विवादित आराजियात का प्रार्थी भूमिधर है और मौके पर काबिज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने हक में विवादित आराजियात पर कब्जा दखल नही प्राप्त किया जा सकता है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवम मुन्सिफ महोदय बिसवां द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा डिग्री अब भी उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रभावी है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार विवादित आराजियात पर कब्जा लेने में सक्षम नही है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच द्वारा याचिका संख्या 1420 सन 92 पर नवीनतम अन्तरिम निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश दिनांक 21-5-92 भी प्रभावी है ।

कर दी गयी जिसके तहत रियासत की भी काश्त सीलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत आ गयी और उपरोक्त नम्बरान सीलिंग के अन्तर्गत Surplus घोषित करके राजा कृष्ण प्रताप सिंह की जोत से निकाल लिए गए।

6- यह कि उपरोक्त आराजियात सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत Surplus घोषित होने के बाद उ0प्र0 सरकार द्वारा उपरोक्त आराजियात पर कब्जा लेने के प्रयास भी प्रारम्भ कर दिए गए।

7- यह कि सन 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवादित आराजियात पर कब्जा लेने उनका पटटा करने का प्रयास किया गया और प्रार्थी को कब्जा छोड देने की धमकी दी गयी मजबूर होकर प्रार्थी ने मुन्सिफ महोदय बिसवा जिला सीतापुर के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद प्रस्तुत किया जो विधिवत कार्यवाही के बाद दिनांक 23-4-1980 को डिग्री किया गया और कब्जे उत्तर प्रदेश सरकार को हमेशा के लिए प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा में दखल देने से रोक दिया गया।

8- यह कि उपरोक्त निर्णय व डिग्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार अथवा कि अन्य क्षुब्ध पक्ष द्वारा कभी कोई अपील अथवा रिवीजन नही प्रस्तुत कि गया परिणामस्वरूप उपरोक्त कथित निर्णय व डिग्री अन्तिम मानी गयी औ पक्षो पर पूर्णरूप से प्रभावी चली आ रही है।

9- यह कि उपरोक्त डिग्री व आदेश पारित किए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियो ने सन 1986 में पुन: प्रार्थी को विवादित आराजिया से बेदखल करने और पटटा किए जाने की धमकी दी मजबूर होकर प्रार्थी को मुन्सिफ महोदय बिसवा द्वारा पारित डिग्री दिनांक 23-4-1980 की इजरा करानी पडी और इजराय मे निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र भी देना पडा जिस प मुन्सिफ महोदय बिसवा ने निषेधाज्ञा आदेश पारित करके उत्तर प्रदेश सर व उसके अन्य सम्बन्धित अधिकारियो को विवादित आराजियात पर प्रार्थ

410 रकबा 0·30 , 667/1 रकबा 0·67, 412/2 रकबा 0·11

1591/3 रकबा 0·22 , 605/1708 रकबा 1·41 के 1/2 [illegible]

गाटा संख्या 62 रकबा 0·03, 664 रकबा 3·95 , 677/1 रकबा 0

व 677/2 रकबा 0·02 1602 रकबा 0·05 ,1606 रकबा 0·11

1610 रकबा 0·22 , 1611 रकबा 0·79 , 1612 रकबा 0·06 , 67

सम्पूर्ण भाग का स्थित ग्राम सकरन तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर एवम आराजी सं० 274 रकबा 6·54, 376 रकबा 12·34 के 1/2 भाग स्थित ग्राम अमरकलां तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर का स्वामी था और उपरोक्त आराजियात उसकी जोत की भूमि थी।

2- यह कि विपक्षी मृतक राजा कृष्ण प्रताप सिंह के पास उसके जनपद हरदोई में भी ग्राम सवायजपुर तहसील शाहाबाद व अन्य जगह काफी जोत भूमि थी।

3- यह कि सन 1975 में विपक्षी मृतक कृष्ण प्रताप सिंह को कारोबार करने हेतु धन की आवश्यकता हुयी और उसने उपरोक्त आराजियात मुझ प्रार्थी से मुबलिग 8000 रुपया आठ हजार रुपया कर्ज लेकर दवामी रहन कर दिया और उपरोक्त आराजियात का कब्जा व दखल मुझ प्रार्थी को दे दिया।

4- यह कि विपक्षी राजा कृष्ण प्रताप सिंह एवम उनके उत्तराधिकारी प्रार्थी द्वारा दिया गया उपरोक्त कर्ज मुबलिग 8000 रुपया अदा नहीं कर सके और न उपरोक्त आराजियात को रहन से मुक्त करा सके नहीं [illegible] प्रार्थी अभी तक वापस कर्ज की धनराशि के एवज में उपरोक्त आराजियात पर सन 1975 से लगातार अभी तक काबिज व दाखिल चला आ रहा है और आज भी उपरोक्त आराजियात पर काबिज व दाखिल है।

5- यह कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Imposing Ceiling Act सन 1961 पास करने के बाद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सीलिंग कार्यवाही

भारत INDIA FIVE RUPEES

CANCELLED

CANCELLED

5/6/12

1669 x 2 दिनांक 5-6-12

5-6-12

5/6/12

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 31-5-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक) रू० RN 6/252 (11-12) धारा 219 भू० रा० अधिनियम जनपद सीतापुर इस्त:-

मो० उमर ~~अखुस्ती~~ बनाम मालती खिटे आदि

आदेश

पत्रावली पर उभयपक्षों को सुना एवं पारित स्थगनादेश आगामी नियत तिथि 26-07-12 तक बढ़ाया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि

5-6-2012

ह०
(दीनानाथ गुप्ता)
अपर आयुक्त (न्यायिक)
लखनऊ मण्डल लखनऊ
दि० 31-5-12

1669 x 2
05-6-12

मोहम्मद उमर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा

मुकदमा दिवानी नम्बर 106/79

आदेश

वादी मोहम्मद उमर ने यह वाद स्थाई निषेध आज्ञा का प्रस्तुत किया है । वादी के अनुसार विवादित भूमि वर्णित सूचि -अ स्थित ग्राम उमराकलाँ व मकरन का स्वामी कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र राजा हरीहर बक्स सिंह निवासी नवायेजपुर परगना पाली तहसील शाहबाद जिला हरदोई के थे । कृष्ण प्रताप सिंह ने विवादित भूमि दिनांक 12 अप्रैल सन् 75 को वादी से 8000/- रु0 लेकर रेहन करके वादी के हक में एक तहरीर बतौर रेहन नामा लिख दिया और कब्जा भी दे दिया। उक्त रेहन नामा के आधार पर वादी का कब्जा आज भी है । धारा 164 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वादी विवादित भूमि का स्वामी हो गया है। प्रति वादी का कथन है कि विवादित भूमि सीलिंग प्रक्रियाओं में कृष्ण प्रताप सिंह की अतिरिक्त भूमि घोषित कर लिया गया । जिसकी सूचना वादी को प्राप्त नही हुई । अब प्रति वादी इस भूमि को विभिन्न काश्तकारों को पट्टे पर उठाने का प्रयास कर रहा है । वादी को यह बात मई सन्79 को पहली बार मालूम हुआ तब इस वाद की आवश्यकता हुई । चूंकि प्रति वादी पट्टा बहुत तेजी से कर ने का प्रयास कर रहा था । इस लिए धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में नोटिस देना सम्भव नही था । वाद धारा 80(2) उक्त संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रति वादी को सम्मन भेजे गये। तामील होने के बावजूद वे हाजिर नही हुए । और न कोई वाद उत्तर प्रस्तुत किया । प्रति वादी के विरुद्ध वाद एकतरफा चलाने का आदेश किया गया ।

वादी ने स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया । अपने वाद के कथन का समर्थन किया । तथा चार कागज सूचि 4ग से प्रस्तुत किये ।

मैंने असल रेहन नामा कागज नम्बर-8क का अवलोकन किया । यह रेहन नामा वादी के अनुसार 8000/-रु0 का लिखा गया । यह रेहन नामा 5/-रु0 के साधारण स्टैम्प पर लिखा गया है । तथा इसकी रजिस्ट्री नही कराई गई है । सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत 100/- या उससे अधिक कीमत का रेहन नामा राजकीय नियमों के अनुसार उचित साधारण स्टैम्प पर होना चाहिए और उसकी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।यह सर्वविदित व निश्चित कानून है कि अगर रजिस्टर्ड रेहन-

[illegible]

न्यायालय [illegible] [illegible] [illegible]

RNo 1252 सन् 11-12 धारा 210 [illegible]

मो० [illegible] बनाम [illegible]

31-8-12

26-7-12

आदेश

[illegible]

[illegible]

05-6-12

166942

05-6-12

भारत INDIA CANCELLED

S/p 7-

5-6-12

1669x2 दिनांक 05-6-12

05-6-12

05/6/12

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 30-5-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक) लखनऊ मण्डल, ~~लखनऊ~~ मण्डल, लखनऊ केस R.No 1252 सन 11-12 धारा 219 ज0वि0 अधिनियम जनपद सीतापुर
मो0 उमर बनाम मालती सिंह आदि।

आदेश दिनांक 30-5-12 की छायाप्रति संलग्न है।

1669x2
05-6-12

वाद के खर्चे

वादी	रु०	पै०	प्रतिवादी	रु०	पै०
१—वाद-पत्र के लिये स्टाम्प	१०२	७२	१—वकालत-नामे के लिये स्टाम्प		
२—वकालत-नामे के लिये स्टाम्प	९	५०	२—प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		
३—प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	३	—	३—अधिवक्ता की फीस		
४—अधिवक्ता की फीस रु० पर	—	—	४—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		
५—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	—	—	५—आदेशिकाओं की तामील		
६—कमीशन निरीक्षण की फीस	—	—	६—कमीशन निरीक्षण की फीस		
७—आदेशिकाओं की तामील	९	५०			
[illegible]	९	५०			
योग ..	१४५	७५	योग ..	All	

Prepared by
22.1.07

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर
(श्री [illegible] कुमार [illegible])

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

(5)

(२)

वादी के लिये श्री [illegible] त्रिपाठी एडवोकेट अधिवक्ता की

और प्रतिवादी के लिये अनुपस्थित आदि अधिवक्ता

की उपस्थिति में इस वाद के आज श्री बी० के० जैन [illegible] सिविल जज सीतापुर

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञप्त किया जाता है कि—

आदेश

वादी का वाद वास्ते स्थाई निषेध ~~[illegible]~~ आज्ञा एकतरफा होने पर [illegible] निरस्त किया जाता है।

copy of order dated 23-4-80 (Paper no. 25 Ka-1) passed in civil misc. case No. 22 of 80, Mohd. Umar vs U.P. State etc, is made part of this decree.

M. Jain 23/4

[illegible] Biswan
[illegible] SITAPUR
23.4.80.

और इस वाद के खर्चे मद्दे × रुपये की राशि आज की तारीख से भुगतान की तारीख तक उस पर × प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित × द्वारा × को दी जाय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 29 मास अप्रैल, सन् १९८० ई० को दी गई।

M. Jain 23/4

न्यायाधीश

(बी० के० जैन)
[illegible] [illegible]
23.4.80 [illegible] सीतापुर

H. C. J. Fo. IV—[illegible]

(११)

[illegible]

मूल वाद में अर्जीदावा

(आदेश ७, नियम १-क)

अदालत [illegible] स्थान [illegible] जिला [illegible]

[illegible] [illegible]

वादपत्र-दिनांक २३ सन् ७५ सन् १९ ई०

[illegible]

वादी

[illegible]

बनाम

[illegible]

प्रतिवादी

टिप्पणी—जो पते ऊपर लिखे गये हैं, वह वादपत्री के [illegible] को छोड़कर,
जो उपस्थित नहीं हुये, तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

[illegible] के लिये दावा

Valuation. [illegible]

Claim. [illegible]

[illegible]

मु० हाई० को० [illegible] (हिन्दी)।

केवल नकल फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made to copy accompanied by therequisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना दी Date of posting noted on notice board	नकल वापिस दिये जाने तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official behvering copy
12/5/2011 बारह मई सन दो हजार ग्यारह	18/5/2011 अठारह मई सन दो हजार ग्यारह	18/5/11	18/5/11

3312/19

श्री [illegible]

WA-600

①

फैसले [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा न्यायालय श्रीमान मुंसिफ महोदय सिसवा जनपद गोरखपुर।

फौजदारी वाद सं 106/79

दायरा - 22.5.79

फैसला - 21.2.80

उनवान

मोहर्रिर द्वारा ________ सही

नकल

मिलान उ०पु० ________ प्रतिलिपि

([illegible])

[illegible] पर आधारित है व [illegible] [illegible]

खतौनियों को देख [illegible] में कोई [illegible]

प्रस्तुत देखा जाता है वादी को विवादित [illegible]

[illegible] 1384 फ० 1387 [illegible]

स्पष्ट है कि विवादित भूमि [illegible]

[illegible] है । [illegible] 74 [illegible]

[illegible] 75 को [illegible]

अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत की गई दिनांक 18.4.75 [illegible]

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के यहाँ [illegible] दिनांक 6.9.75 [illegible]

हुई [illegible] वादी [illegible]

की ओर [illegible] बन्दोबस्त अधिकारी [illegible]

[illegible] धारा 164 [illegible]

विवादित भूमि पर [illegible] है । [illegible]

विवादित भूमि के बारे में कोई [illegible] अधिकारी नहीं है।

आदेश

वादी का वाद वास्ते [illegible] डिग्री द्वारा [illegible]

[illegible] निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 21.2.80

([illegible])

[illegible]

[illegible]

Compared by
Examined by

①

४

-४

[illegible] (ख)

नाम [illegible]	[illegible] संख्या	रकबा	[illegible]	[illegible]
ग्राम [illegible]			[illegible] १/२	[illegible]
कृपाल प्रताप सिंह	२१४	१-२४		
तेज प्रताप सिंह	३२८	१२-३४		१०२-६५
ग्राम [illegible]	६०४	०-४४	११४	२-६०
[illegible] राम	४१०	०-३०		
कृपाल प्रताप सिंह	८८१/१	०-८८		
तेज प्रताप सिंह	१४११/२	०-११		
	१५६२/२	०-२२		
	६०२/१७०८	१-४१		
ग्राम [illegible]				
कृपाल प्रताप सिंह	८६२	०-०३		
	८६५	३-६५		
	८११/१	०-०३		
	८११/२	०-०२	[illegible]	२१-८२
	८१६	०-०५		
	१६०८	०-८१		
	१६०५	०-५२		
	१६१०	०-२२		
	१६११	०-०५		
	१६१२	०-०६		
	१० किता	६-४८		

(2)

ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

६ (२) — कब्रिस्तान, श्मशान ऐसे कब्रिस्तानों व श्मशानों को छोड़कर जो किसी खातेदार की भूमि आबादी में स्थित हो					
ईदगाह कब्रिस्तान		१२५४	०.२०		आदेश [illegible]
					आदेशानुसार [illegible] धारा १०(२) [illegible]
					[illegible]
		१२५३	०.२०		[illegible]
योग श्रेणी ६ [३]					[illegible]
		[illegible]	०.६०		[illegible]
६ [४] — अन्य कारणों से अकृषिक भूमि					[illegible]
खार					[illegible]
		६१६	[illegible]		[illegible]

नोट:— ① [illegible] पर [illegible]
इसी तरह [illegible] है कि
[illegible] राज्य/ [illegible]
[illegible] जा सकती है।

1. Application No. 9634
2. Date of Application 10-1-08
3. Revenue [illegible]
4. Date of Preparation 18-1-08
5. Value of Stamp [illegible]
6. No. of words [illegible]
7. Date of Delivery [illegible]

1-Prepared by
2-Compared by
3-Examined by

खतौनी प्रतिलिपि [illegible] (माल) [illegible] से [illegible]

नकल खतौनी बाबत सन १३६४ से १३६६ फ० [illegible]

श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर

[illegible] अधिकार

~~[illegible]~~ को विवाद सम्बन्धी न्यायालय में नहीं दिया गया इस कारण धारा 92 सम्बन्धी अधिनियम से मुकदमा बाधित नहीं है। वादी की ओर से यह भी बहस की गई कि अगर किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कागज लिखी गई हो या है तो बिना रजिस्टर्ड है तो भी उचित साक्ष्य या उस व्यक्ति का कब्जा है वह कागज कब्जे के सम्बन्ध पढ़ी जा सकती है। और अगर कब्जे से कोई अधिकार मिलता है तो व्यक्ति कब्जे के बिना या उसके अधिकारों की घोषणा कर सकता है यदि कोई व्यक्ति उसके कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो उसको हस्तक्षेप करने से मना कर सकता है। मैंने इस पर पुनर्विचार किया और यह पाया कि यह सत्य है कि कोई भी कागज कानून में मान्य हो तो उसका कब्जे के सम्बन्ध में पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार वादी का कब्जा विवादित भूमि पर साबित है। उसने शपथपत्र पर बयान किया है कि विवादित भूमि पर वह काबिज चला आ रहा है। जो शपथपत्र वादी ने प्रस्तुत किया है उससे भी यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा सन 95 से चला आ रहा है और धारा 148 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत उसको स्वतः अधिकार प्राप्त हो गए। वह मांगी याचना पाने का अधिकारी है।

आदेश

निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद मुकदमा नम्बर 1056 सन 98, मोहम्मद उर्फ [illegible] बनाम [illegible] उर्फ [illegible] [illegible] सव्यय डिग्री किया जाता है। यह आदेश डिग्री का अंश रहेगा।

दिनांक :- 23-4-80.

Sd/- S. K. Jain,
23.4.80.
मुंसिफ [illegible],
सीतापुर।

Copied by [illegible]

(7)

डिक्री

२५क१

न्यायालय उपसंचालक चकबन्दी कैम्प सीतापुर।

मोहम्मद उमर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश वगैरह

विविध दीवानी नम्बर २२ सन ८०.

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वादी ने अन्तर्गत धारा ११४ जा० दी० में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के अनुसार दि: २१-२-८० को उपरोक्त मुकदमा खिलाफ वादी के विरुद्ध किया गया। उसमें कुछ कानूनी तथ्य दिए गए जो ग़लत हैं। अत: उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वादी ने यह भी कहा है कि १००) रु: से अधिक के बन्धकपत्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। केवल विक्रयपत्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तथा अगर कोई प्रपत्र स्टैम्प की कमी के कारण अमान्य हो और साक्ष्य में पढ़ लिया गया है तो उस पर कमी स्टैम्प मानी जाएगी मगर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फार्म २३ चकबन्दी अधिनियम चक के आवन्टन के लिए हुई है। धारा २१ चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत किसी को चक अवंटन मे एतराज है तो कर सकता है। धारा ८ चकबन्दी अधिनियम का इस पर कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार धारा २१ उपरोक्त अधिनियम में लिया गया निर्णय अधिकारों के सम्बन्ध में नहीं पढ़ा जा सकता। अत: इस बात पर भी गौर नहीं किया गया। इसलिए इस प्रार्थनापत्र की आवश्यकता हुई।

मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी को सुना तथा हलवाद में प्रस्तुत कागजात को फिर से अवलोकन किया जो फार्म नम्बर २३ वादी ने प्रस्तुत किया है उनसे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने चक के आवंटन में एतराज किया था जो निरस्त किए गए। इन्हीं का इन्द्राज फार्म २३ मे किया गया है।

P.T.O.

(4)

आदेश

अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है न्यायालय तहसीलदार न्यायिक लहरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2003 निरस्त किया जाता है खतौनी सन् 1414से 1419फ0 स्थित ग्राम उमरापुर कलां परगना तम्बौर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर की खाता संख्या 53 पर अंकित राजा कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र हरिहर बख्श सिंह निवासी ग्राम सवाईजपुर परगना पाली तहसील शाहाबाद जिला हरदोई मृतक के उत्तराधिकारी श्रीमती मालती सिंह पत्नी राजा कृष्ण प्रताप सिंह व दिनेश प्रताप सिंह पुत्र राजा कृष्ण प्रताप सिंह निवासी सवाईजपुर परगना पाली तहसील शाहाबाद जिला हरदोई का नाम वरासत के आधार पर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो परवाना अमल दरामद जारी हो आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाय तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

अशोक कुमार सिंह
परगनाधिकारी / असि0कले0प्रथमश्रेणी
लहरपुर।

दिनांक 28/5/12

135

[illegible] का क्रमांक

[illegible] का दिनांक 30/5/12 [illegible] के हस्ताक्षर

[illegible] प्रतिलिपि

[illegible]

[illegible] के हस्ताक्षर

30/5/12

30/5/12

[illegible] कर्ता के [illegible]

(तीनमाई एक कापी)

नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा न किया गया हो और नियमानुसार पंजीकरण न कराया गया हो तो उसे साक्ष्य मे नहीं पढ़ा जा सकता। [illegible] उसके [illegible] पति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया और न ही [illegible] किया आपत्तिकर्ता [illegible] नियमानुसार साबित नहीं किया अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] आदेश पारित किया है। जो न्यायिक प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थिनी की प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2008 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी पक्षो को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामील शामिल पत्रावली हुयी उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखो तथा साक्ष्यो का भली भांति सम्यक अवलोकन एव अध्ययन किया गया। अवर न्यायालय द्वारा रेहननामा के आधार पर आदेश पारित किया गया है अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मालती सिंह के बयान मे वसीयतनामा की पुष्टि की गयी है तथा अरविन्द प्रताव सिंह ने मालती सिंह व दिनेश प्रताप सिंह के हक मे राजा कृष्ण प्रताप सिंह के द्वारा वसीयत निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है।उत्तरदातागण की ओर से रानी बृजबाला सिंह के बयान परीक्षित कराये है जिसमे मो0 उमर राजा तेज प्रताप सिंह के मुख्तियार थे। राजा तेज प्रताप सिंह कृष्ण प्रताप सिंह दोनो भाई अलग-अलग रहते थे मो0 उमर उत्तरदाता ने अपने बयान मे राजा कृष्ण प्रताप सिंह को 8000/-रूपया रेहन के रूप मे देने की बात कही है। तथा अपना निवास सकरन मे तहसील लहरपुर मे बताया है। रेहननामा जो दाखिल पत्रावली है जो रजिस्टर्ड प्रपत्र नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेहननामा राजाकृष्ण प्रताप सिंह पुत्र हरिहरबक्श सिंह निवासी सवाईजपुर परगना पाली तहसील शाहाबाद जिला हरदोई जो मो0उमर के हक मे निष्पादित है वह मात्र 5/-के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है। जिसकी रजिस्ट्री नही करायी गयी है। रेहननामे मे 8000/-रूपये मो0उमर से लेने का जिक है। चार साल मे रूपये न अदा करने पर उमराकला की भूमि का हक प्राप्त हो जायेगा ।उत्तरदातागण के द्वारा पत्रावली मे दाखिल रेहननामा राजाकृष्ण प्रताप सिंह मात्र 5रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित होना तथा रजिस्टर्ड न होना तथा राजा कृष्ण प्रताव सिंह के द्वारा रेहननामा के रूप मे 8000/-रूपये लेने वाली बात सन्देह से परे सिद्ध नही पायी जाती है तथा रेहननामा कम से कम 100/-के स्टाम्प पर निष्पादित होना तथा रजिस्टर्ड होने पर ही मान्य होना चाहिए। इसलिए रेहननामा दिनांकित 12-04-1975 का निष्पादन सदेह से परे सिद्ध नहीं पाया जाता है। रेहननामा पर न्यायालय तहसीलदार न्यायिक द्वारा पारित आदेश दिनाक 07.08.2008 खडित किये जाने योग्य है। अपीलार्थिनी मालती सिंह व दिनेश प्रताप सिंह,मृतक राजा कृष्ण प्रताप सिंह के विधिक उत्तराधिकारी है।यह बात हासिया गवाह अरविन्द कुमार के बयान से सिद्ध होती है। वसीयतनामे के हासिया गवाह अरविन्द कुमार को परीक्षित कराया है। जिसने वसीयतनामे की पुष्टि की है। वसीयतनामा रजिस्टर्ड अभिलेख नहीं है इसलिए इस पर कोई सज्ञान नही लिया जाता है। अपीलार्थिनी मालती सिंह जो राजा कृष्ण प्रताप सिंह की पत्नी है तथा दिनेश प्रताप सिंह राजा कृष्ण प्रताप सिंह के इकलौते पुत्र है। जो विधिक वारिस होने के नाते पत्नी व पुत्र को विधिक उत्तराधिकारी माने जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योकि राजा कृष्ण प्रताप सिंह की पत्नी मालती सिंह व पुत्र दिनेश प्रताप सिंह के वारिस होने की बात कई गवाहो ने पुष्टि की है। इसलिए वरासत के आधार पर मृतक राजा कृष्ण प्रताप सिंह के विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती मालती सिंह पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह व दिनेश प्रताप सिंह पुत्र राजा कृष्ण प्रताप सिंह निवासी सवाईजपुर परगना पाली तहसील शाहाबाद जिला हरदोई के हक मे वरासत के आधार पर वारिस माना जाता है न्यायालय तहसीलदार न्यायिक लहरपुर द्वारा रेहननामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 07.08.2008 त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

(2)

[illegible] / [illegible]

निगरानी संख्या / / / 20 / 09

अन्तर्गत धारा 210 / 211 भू०रा०अधि०
ग्राम [illegible] परगना [illegible]
तहसील [illegible] जिला [illegible]

श्रीमती मालती सिंह   बनाम   मो०उमर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपील श्रीमती मालती सिंह विधवा राजा स्व० श्री कृष्ण प्रताप सिंह [illegible] निवासी ग्राम सवाईजपुर परगना पाली तहसील सवाईजपुर जिला हरदोई की ओर से न्यायालय [illegible] तहसीलदार न्यायिक के आदेश दिनांक 07.08.2008 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। जिसमें कहा गया है कि विवादित गाटा संख्या 274 क्षेत्रफल 2.046हे०एवं गाटा संख्या [illegible] क्षेत्रफल [illegible] हे० ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] के [illegible] अपीलार्थिनी के पति [illegible] श्री कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र [illegible] सिंह थे। मेरे पति ने अपने जीवन काल में अपनी [illegible] विवादित भूमि [illegible] तमाम सम्पत्ति की [illegible] व्यवस्था का बटवारा करते हुए अपने [illegible] बिना किसी [illegible] होश व हवास में [illegible] एक वसीयतनामा दिनांक 07.01.1984 को अपीलार्थिनी व उसके एकलौते पुत्र श्री दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में निष्पादित किया था। अपीलार्थिनी के पति श्री कृष्ण प्रताप सिंह की मृत्यु दिनांक 21.09.1984 को हो गयी थी। वसीयतकर्ता श्रीकृष्ण प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद से उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा [illegible] उक्त वसीयतनामा के आधार पर विवादित सम्पत्ति की [illegible] अपीलार्थिनी है। [illegible] या अन्य किसी व्यक्ति को अपीलार्थिनी के [illegible] वसीयतनामा दिनांकित 07.01.1984 को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वसीयतनामा धारा 169 उ०प्र०ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950के प्राविधानों के अन्तर्गत [illegible] वैध व प्रमाणित विलेख है। पति के मरने के बाद उत्तराधिकारी कायम होकर खतौनी [illegible] में परिवर्तित होकर उनका नाम यथोचित वसीयती उत्तराधिकारिणी दर्ज हो गया होता। [illegible] कानूनगो ने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया,अन्यथा कम से कम अन्तर्गत धारा 33 [illegible] वार्षिक रजिस्टर में संशोधन हो गया होता। अपीलार्थिनी को कोई जानकारी नहीं है विवादित भूमि पर उसके मृतक पति का नाम इन्द्राज चल रहा है। तब से उसने वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 34 भू०रा०अधि० प्रस्तुत किया। उत्तरदाता ने [illegible] वास्तविक तथ्य छल पूर्वक छिपाते हुए बिना किसी अधिकार के मिथ्या बनावटी आधार व [illegible] कथनों पर आधारित आपत्ति दाखिल किया है जो पोषणीय नहीं है वसीयत नामा के लेखक राम मदन त्रिपाठी की मृत्यु हो गयी है। तथा साक्षी श्रीकृष्ण बाजपेई अरसा पहले मृत्यु हो गयी है। साक्षी श्री अरविन्द प्रताप सिंह ने वसीयतनामा की पुष्टि किया है। वसीयत किसी किस्म का सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रश्नगत निर्णय पारित करने में अपने विवेक,तर्क शक्ति एवं न्यायिक मस्तिष्क का सही इस्तेमाल नहीं किया। उत्तरदाता मो०उमर जनपद हरदोई का मूल निवासी है। जो जालसाज मुकदमेबाज एवं [illegible] व्यक्ति है जो अपीलार्थिनी के मृतक पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह का ड्राइवर था। अपीलार्थिनी के पुत्र दिनेश प्रताप सिंह व श्रीमती [illegible] सिंह पत्नी तेजप्रताप सिंह के मध्य विभिन्न न्यायालय में मुकदमे बाजी चल रही है। अपीलार्थिनी के मृतक पति ने उत्तरदाता मो०उमर से कथित रूप में कोई धन नहीं लिया है। और नही अपनी भूमि बन्धक किया है। और न ही प्रश्नगत बन्धकनामा निष्पादित किया है। उत्तरदाता मो० उमर द्वारा प्रस्तुत किया गया बन्धकनामा जाली फर्जी कूट रचित एवं अवैधानिक रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत बन्धकपत्र का पंजीकरण अनिवार्य होता है। जिस पर पत्र पर

----2

प्रतिलिपि आदेश दिनांक
28.4.12 पारित द्वारा प्रशासनिक अधिकारी/
आफिस कलेक्टर ([illegible]) [illegible]
वाद सं. 1/1/4/20189 अं. धारा
210/211 CPA पी. ग्राम [illegible] जिला
मु.-[illegible] तहसील [illegible] जिला
सीतापुर बनाम श्रीमती [illegible]
सिंह बनाम ओमप्रकाश तारीख पेशी
22.8.08 तारीख फैसला 28.4.12

प्रतिलिपि उपरोक्त आवेदक [illegible]
वापस भेजी जाती है।

नोट - उक्त आदेश की
सत्यापित छायाप्रति
साथ में संलग्न है।

[illegible]

[illegible]

६८	[illegible] प्रताप सिंह पुत्र [illegible] सिंह	[illegible]	१२८२	२-४०		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	८४८ १२४८	४-०८		
	[illegible]	[illegible]	२	५-४८	२१	८०
					२२	१५
६७	[illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम	[illegible]	६	३-३८		
[illegible]		[illegible]	८००	०-८२		
		[illegible]	१२८३	०-१६		
			३	४-३७	१६	७५
					३८	१०
७०	जल्लू पुत्र [illegible] निवासी ग्राम	[illegible]	८३२	१-१०		
[illegible]		[illegible]	८३४	१-१४		
		[illegible]	२	२-२४	८	७५
					१७	४०

14.3.85
29.1.86

1. Application No. 9623
2. Date of Application 10-7-08
3. Revenue
4. Date of Preparation 19-7-08
5. Value of Stamp 5/-
6. No. of words
7. Date of Delivery
8. Prepared by
9. Compared by
10. Examined by

(2)

ग्राम सकरनपरु तम्बौर तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर

६ (३) :—कब्रिस्तान, श्मशान ऐसे कब्रिस्तानों व श्मशानों को छोड़कर जो किसी खातेदार की भूमि आबादी के क्षेत्र में स्थित हों।

कब्रिस्तान	१२५४	०·३०
[illegible]	१२५३	०·३०
योग श्रेणी ६[३]	२कि·	०·६०

६ [४] :—अन्य कारणों से अकृषिक भूमि :

बार	६१-ई	०·२०

आदेश रा० स०(ना) — (खतौनी 77, 61, 75, 88, 111, [illegible]) [illegible] 10(2) [illegible] 648/1350 [illegible] 1282 [illegible] 612 [illegible] 558 [illegible] 1105 [illegible] 1357 [illegible]

नोट:— ⊗ निशान स्थान पर मूल खतौनी में इसी तरह ओवर राइटिंग है। किन्तु निरस्त किया गया। पुष्टि आवश्यकतानुसार मूल अभिलेख से की जा सकती है।

1. Application No. 9624
2. Date of Application 10-7-08
3. Revenue ——
4. Date of Preparation 18-7-08
5. Value of Stamp 51/—
6. No. of words 35 [illegible]
7. Date of Delivery [illegible]

1-Prepared by
2-Compared by
3-Examined by

सत्य प्रतिलिपि
18-7-08

[illegible] ओ [illegible] और [illegible] (माल) [illegible] [illegible] से [illegible] को [illegible] नकल
— नकल [illegible] सन १९६ से १९६६ [illegible] [illegible] [illegible]

दिनांक २ [illegible] [illegible]

क्रमशः

[illegible]

1 Application No. — 9623
2 Date of Application —
3 Revenue —
4 Date of Preparation —
5 Value of Stamp —
6 Name of [illegible]
7 Date of Delivery —

Prepared by —
Examined by —

जीवन काल में वादीय भूमि को रेहन मुक्त नहीं [illegible]
और न कोई धनराशि अदा किया तथा प्रार्थी [illegible]
से निरन्तर वादीय भूमि पर काबिज चला आ रहा है
तथा लगान आदि अदा करता चला आ रहा है तथा
वादीय भूमि का मालिक मिस्टर कृष्ण प्रताप सिंह
कृष्ण प्रताप सिंह की मृत्यु दि० 20.9.83 को हो गई है
जबकि वादिनी ने मिथ्या रूप से मृत्यु का दिनांक [illegible]
दर्शाया है तथा कोई मृत्यु प्रमाण-पत्र भी दाखिल
नहीं किया है; क्योंकि वसीयत फर्जी है तथा कृष्ण
प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद बोगस बना ली
गयी है, दा. खा. प्रा. पत्र अवधि बाधित [illegible]
होने योग्य है; लेखपाल दि० 12.4.75 के आदेश से कृष्ण
प्रताप सिंह के सिकमीदार प्रार्थी के पक्ष में दर्ज
हो गये हैं तथा वह वादीय भूमि का मालिक
कृष्ण प्रताप ने अपने जीवन काल में कोई विरोध
नहीं किया; कृष्ण प्रताप सिंह ने वादीय भूमि [illegible]
में अतिरिक्त घोषित किये जाने की कार्यवाही [illegible]
वाद में किया था तदुपरान्त [illegible] ।
कार्यवाही शुरु हुई तब प्रार्थी ने [illegible]
विरुद्ध स्थायी प्रतिबन्ध का वाद न्यायालय श्रीमान
मुंसिफ महोदय के यहाँ योजित किया था जो दि०
23.4.80 को डिग्री हुआ और प्रार्थी का कब्जा
मानते हुए न्यायालय ने [illegible] पर स्थायी
रोक लगा दिया और दि० 23.4.80 के आदेश के
विरुद्ध कोई अपील या निगरानी नहीं प्रस्तुत [illegible]

मालती सिंह बनाम कृष्ण प्रताप सिंह

8.12.2008

प्रस्तुत वाद मालती सिंह [illegible] की ओर से प्रताप सिंह नि. [illegible] कोठी, जि० हरदोई [illegible] से अपंजीकृत वसीयत दिनांकित -7-1984 के [illegible] दि० 26.8.96 को दर्ज आदेश से [illegible] स्व. कृष्ण प्रताप सिंह पु० [illegible] सिंह ने [illegible] पक्ष में वसीयत तहरीर की थी और वसीयत [illegible] पु. कृष्ण प्रताप सिंह की जगह उनका नाम दर्ज किया जाय।

नियमानुसार उद्घोषणा-पत्र जारी हुए, जो [illegible] तामील [illegible] प्रमाणित हैं। मो० अहमद [illegible] अहमद नि. [illegible] पु. [illegible] की ओर से दि० [illegible] को आपत्ति प्रस्तुत हुयी।

आपत्ति में मुख्य रूप से कहा गया [illegible] प्रताप सिंह पुत्र हरिहर [illegible] भूमि को कृष्ण प्रताप सिंह [illegible] सन् 1975 ई. में [illegible] 8000=00 रु० नकद [illegible] पु. [illegible] प्राप्त को [illegible] अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए [illegible] था; दि० 12.4.75 को कृष्ण प्रताप सिंह ने [illegible] रेहननामा की शर्त के अनुसार [illegible] रेहननामा लिखा दिया था, रेहननामा की शर्त के [illegible] कृष्ण प्रताप को वादीय भूमि रेहनमुक्त कराने के लिए [illegible] वर्षों की मुद्दत तय की गयी [illegible] कृष्ण प्रताप सिंह वादीय भूमि मुक्त [illegible] वर्ष में [illegible] वादीय भूमि [illegible] कराके तो वादीय भूमि [illegible] की होगी और वादीय भूमि में जो हक [illegible] प्रताप सिंह को हासिल थे वह सबके सब मो० अहमद [illegible] हासिल हुए [illegible] जायेंगे; कृष्ण प्रताप ने [illegible]

प्रतिलिपि आदेश दिनांक

07.8.08 पारित द्वारा तहसीलदार (न्यायिक) लहरपुर जिला सीतापुर वाद सं. 571/20/51/147/27/7/[illegible] 61/35/308 अन्तर्गत धारा 34 एल.आर.एक्ट ग्राम अमानगंज पर. लहरपुर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर राजकुमार श्रीमती मालती सिंह बनाम कुलदीप प्रताप सिंह आदि तारीख दायरा . 26.8.96 तारीख फैसला . 7.8.08

इस न्यायालय की निगरानी अपील सं. 11/1/4/20/08 [illegible] (श्रीमती . श्रीमती मालती सिंह बनाम [illegible] आदि के खिलाफ रहे हैं [illegible] न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) लहरपुर से प्राप्त होकर प्रतिलिपि न्यायालय अभिलेखागार लहरपुर भेजी गई।

नोट [illegible] की सत्यापित प्रतिलिपि के संलग्न है

वर्ष 1986 में पुनः [illegible]
प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन [illegible] दि. 22-5-88 [illegible]
प्रस्तुत की गयी तथा [illegible] आदेश [illegible]
प्राप्त किया; श्रीमती [illegible] सिंह [illegible]
सिंह का कोई हक न [illegible] दि० 12-4-78 [illegible]
भूमि पर कभी नहीं रहा है और न है; [illegible]
कोई अधिकार [illegible] भूमि के सम्बन्ध में [illegible]
लिखने का नहीं था और न ही [illegible]
मिली है; [illegible] वकील प्रार्थी [illegible]
से फर्जी रूप से तैयार कराये गये हैं; [illegible]
प्रार्थी को बेदखल न किया जाय इस [illegible]
दि० 26-11-80 को मान. उच्च [illegible]
स्थगन [illegible] द्वारा भी पारित किया था [illegible]
का उल्लेख करते हुए [illegible]
निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

दि० 22.6.88 को [illegible]
हुयी। इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वादीय भूमि [illegible]
प्रताप सिंह के नाम अभिलेखों में दर्ज है; [illegible]
की मृत्यु की तिथि गलत उल्लेखित की गयी है; [illegible]
प्रार्थिनी स्व. कुंवर प्रताप सिंह की धर्म पत्नी है [illegible]
और वारिस रूप है; प्रार्थिनी को [illegible]
उसकी भूमि हड़पने की नियत से फर्जी [illegible]
कार्यवाही आधारहीन दाखिल की गयी है; [illegible]
मुसलमान है और मेरी देवरानी का नौकर है [illegible]
26.11.80 को मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन
आदेश मेरी जानकारी में नहीं पारित किया गया है
[illegible] है, मुकदमा चलाती है; [illegible]
के नाम [illegible] प्रताप का नौकर है, [illegible]

47/1

रहा था।

अरविन्द प्रताप सिंह पुत्र राम विलास सिंह ने [illegible]
बयान किया है कि मैं राजा कुंवर प्रताप सिंह [illegible]
जानता था; राजा कुंवर प्रताप ने अपना [illegible]
7-1-84 को अपनी पत्नी भवानी सिंह [illegible]
पुत्र राजा दिनेश प्रताप सिंह का [illegible]
वसीयत उन्होंने रामकुमार मुंशी से लिखवाया था,
वसीयत सुलतानपुर कोर्ट में लिखवायी [illegible]
वसीयत लिखी जाने की उस समय [illegible]
रामदत्त, श्री कुंवर [illegible]
इसके अतिरिक्त कोई नहीं था, लिखवाने [illegible]
वसीयत पढ़कर सुनायी गयी थी जिसे [illegible]
सुना था एवं पढ़ा गया था, सुनने [illegible]
राजा साहब ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर [illegible]
वसीयत के पन्नों में लिखी गयी थी, [illegible]
राजा साहब ने चारों पन्नों हस्ताक्षर किया था
गवाहों ने हस्ताक्षर में राजा साहब के [illegible]
की थी, राजा साहब के बाद भी [illegible]
हस्ताक्षर किये थे; Ex-क-1 [illegible]
वही वसीयत है जिसे राजा साहब ने [illegible]
कुंवर प्रताप सिंह की मृत्यु 15-16 वर्ष पूर्व हुई
थी। जिरह में कहा है कि राजा कुंवर [illegible]
को मैं नहीं जानता हूँ [illegible]
जाते थे, वसीयत 7-1-84 को लिखी गयी थी
से 10-12 वर्ष पहले लिखी गयी थी, वसीयत को
[illegible]

के कारण अब प्रार्थिनी व उसके पुत्र ने आ० क० को नौकरी से हटाने की बात अपनी देवरानी से की तब वह बुरा मान गया और फर्जी कागज तैयार कराकर प्रार्थिनी को नुकसान करने की नियत से षड़यन्त्र रचा। उक्त का उल्लेख करते हुए आवेदक ने विपक्षी पर फर्जी कागजात तैयार करने के आरोप में मुकदमा चलाये जाने व न्यायालय का समय बर्बाद करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

पक्षों को साक्ष्य के पूर्ण एवं समुचित अवसर दिये गये। वादी की ओर से मूल अपंजीकृत वसीयत दाखिल की गयी एवं मौखिक साक्ष्य में मालती सिंह पत्नी स्व० कृष्ण प्रताप सिंह व अरविन्द प्रताप सिंह पुत्र रामनिवास सिंह नि० हरदोई के बयान दर्ज हुए।

मालती सिंह ने अपने बयान में कहा कि राजा कृष्ण प्रताप सिंह मेरे हक में वसीयत लिख गये थे; वसीयत के गवाह श्री कृष्ण वाजपेयी नि० मदनापुर व अरविन्द प्रताप सिंह नि० रामपुर थे, वसीयत मेरे सामने नहीं लिखी गयी थी। राजा साहब बीमार हुए थे तो मेडिकल कालेज लखनऊ में यह वसीयत [illegible] किया था, वसीयत मेरे व मेरे पुत्र दिनेश प्रताप के हक में लिखी गयी है और वसीयत में लिखी भूमि पर मैं व दिनेश प्रताप सिंह काबिज हैं, वसीयत 7-11-84 को लिखी हुयी है, मो० उमाकान्त का इस भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, इन्हें मेरे ससुर ने नौकर के रूप में

[illegible] 80 को

श्री. [illegible] पैसा [illegible] भूमि [illegible] नहीं गयी इस [illegible] 4 वर्ष की अवधि बीतने के बाद मैं इसका मालिकाना हो गया, इस भूमि के सम्बन्ध में [illegible] के विरुद्ध दीवानी वाद किया था जो [illegible] के खिलाफ डिग्री हुआ था; रुपया 2000 [illegible] ने वादग्रस्त भूमि [illegible] में [illegible] की जानकारी थी। मैंने [illegible] को कब्जा [illegible] के लिए मुकदमा किया था, दीवानी वाद में जो [illegible] न्यायालय में अपने [illegible] में दाखिल किया है [illegible] वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में [illegible] भूमि [illegible] मालिकाना [illegible] आ रहा है; रुपया 2000 [illegible] ने अपने बयान में [illegible] 7-1-84 नहीं लिखी है, [illegible] रुपया 2000 [illegible] [illegible] मुझसे पैसा लिए थे।

अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत [illegible] और [illegible] विरुद्ध [illegible] प्रस्तुत की गयी। [illegible] दाखिल की गयी। विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने [illegible] पत्रावली साक्ष्यों के सूक्ष्म अनुशीलन से निम्नांकित प्रकाश में आते हैं:-

प्रस्तुत वाद [illegible] [illegible] दिनांक 7-1-84 [illegible] की आपत्ति के बाबत [illegible] [illegible] दिनांक 12-4-75 के आदेश [illegible] [illegible] के आपके प्रस्तुत की गयी [illegible] मानना [illegible] नहीं [illegible]

प्रार्थीवादी सीलिंग अपर जिलाधिकारी [illegible] हरदोई, द्वारा
किये गये। मौखिक साक्ष्य में रानी कुसुम [illegible]
पत्नी राजा तेज प्रताप सिंह, [illegible]
एवं मोह० उमर के बयान दर्ज हुए।

रानी कुसुम [illegible] सिंह पत्नी राजा
तेज प्रताप सिंह नि० सीतापुर [illegible] ने [illegible]
[illegible] में [illegible] लेखपत्र
12-04-75 को पहचानती हूँ। इस पर [illegible]
प्रताप सिंह, तेज प्रताप सिंह एवं [illegible]
के हस्ताक्षर हैं, राजा [illegible] प्रताप ने [illegible]
हजार रुपये लेकर [illegible] जमीन [illegible]
रखी थी [illegible]
[illegible] की भूमि [illegible]
[illegible] हूँ।

मोह० उमर ने बयान [illegible]
[illegible] भूमि का मैं मालिक हूँ [illegible]
हूँ, यह भूमि मैंने [illegible] प्रताप सिंह [illegible]
से प्राप्त की थी, राजा साहब ने इस [illegible]
एक लेखपत्र लिखा था जो [illegible]
मैं मालिक लेखपत्र को देखकर कहता हूँ कि यह
वही लेखपत्र है जो [illegible] प्रताप ने [illegible]
के पक्ष में लिखा था, इस [illegible] के [illegible]
में 8000=00 रुपये [illegible] किया था, [illegible] 8000
[illegible] किया गया था [illegible] वापस नहीं किया गया, [illegible]
से मुक्त होने के लिए 4 वर्ष की [illegible]

पत्रावलोकन।

[illegible]

आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति [illegible]

[illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दि० [illegible]

[illegible] न्यायालय मुंसिफ [illegible] वाद सं० १८६/७९ [illegible] २१-२-८० [illegible] आदेश दि० २१-५-९२ [illegible] माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ [illegible] रिट या० सं० १४२०/९२ मोह० उमर [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] (हिन्दी) पारित द्वारा न्यायालय मुंसिफ [illegible] वाद सं० १०८/७९ [illegible] २३-०५-७९ [illegible] २१-२-८०/ २३-०५-८० [illegible] वाद पत्र दि० २३-०५-७९ दाखिल [illegible] मुंसिफ [illegible] वाद सं० १०८/७९ [illegible] मोह० उमर [illegible] राजाबहादुर प्रताप सिंह दिनांकित १२-०४-१९७८ [illegible] प्रतिलिपि की [illegible] मुकदमा [illegible]

~~[illegible]~~

चूँकि प्र. वादी का कब्जा साबित है, वादी की ओर से प्रस्तुत [illegible] दावा पत्र से भी साबित होता है कि [illegible] प्र. वादी का कब्जा 1972 से लगातार चला आ रहा है [illegible] 164 ज. वि. व्य. अधि. के अन्तर्गत [illegible] प्राप्त हो गये। उक्त का उल्लेख करते हुए [illegible] 80 को आदेश पारित किया गया कि "प्र. प. [illegible] किया जाता है। वादी का दावा मु. नं. 106/79 मो० [illegible] है। यह आदेश निगरानी [illegible] याचिका सं. 14202 (M.S.), मोह. [illegible] Vs [illegible] मान. उच्च न्यायालय ने 21.5.92 को आदेश [illegible] किया गया है कि [illegible] "Till the next listing the parties will maintain Status quo." उक्त रिट याचिका [illegible] में अभी प्रचलित है। [illegible] सं. 14202/[illegible] उपरोक्त किया गया है कि याचिका [illegible] 12.5.79 मुताबिक [illegible] न्यायालय में दाखिल था और यह [illegible] 18-11-85 द्वारा वापस किया गया है [illegible] इसके पश्चात [illegible] उपरोक्त है। [illegible] ओर से दाखिल [illegible] यथा श्रीमती [illegible] (B.R.) RD 1528 पेज [illegible] (B.R.) RD 1971 पेज 261, 262 [illegible] (B.R.) RD 1971 पेज [illegible] Trespasser की श्रेणी को [illegible] हुए मोह. [illegible] Trespasser की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनका [illegible] सं. 274, 328 [illegible] वाद बिन्दु [illegible] के विरुद्ध

~~[illegible] कोर्ट के आधार पर [illegible]~~

साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व ही [illegible]
वादी की ओर से हाजिर गवाहों में मात्र [illegible]
अरविन्द प्रताप सिंह का बयान दर्ज हुआ। अरविन्द सिंह
का बयान दि० 6-12-99 को दर्ज हुआ [illegible]
को साक्ष्य हेतु। बयान में अरविन्द ने [illegible]
बताया है और वसीयत 7-1-84 को [illegible]
है; यह भी कहा है कि वसीयत पर सात [illegible]
जगह हस्ताक्षर किया था, जिरह में कहा है कि [illegible]
सिंह को नहीं जानता हूँ, मेरे पिता के साथ आते जाते
वसीयत 10-12 वर्ष पहले लिखी गयी थी। बयान [illegible]
जिरह के अनुसार वर्ष 84 में अरविन्द की उम्र 12 [illegible]
और वह बालिग नहीं था। वर्ष 2004 में साक्ष्य [illegible]
अनुसार वसीयत 88-89 में लिखी गयी जबकि वसीयत
1984 की है। इसके अलावा [illegible]
ने वसीयत पर 4 जगह हस्ताक्षर [illegible]
का कहना है जबकि वसीयत पर [illegible]
चार जगह हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अरविन्द के बयानों में
स्पष्ट विरोधाभास है और वसीयत का निष्पादन
सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता है।

आपत्तिकर्ता का दावा [illegible]
दि० 12-4-75 के [illegible] पर है। इस सम्बन्ध में आप०
द्वारा न्यायालय मुंसिफ, [illegible]
[illegible] में पारित आदेश दि० 23-04-[illegible]
प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। आदेश दि० 23-04-[illegible]
अवलोकित किया गया है कि [illegible]
[illegible] में अमान्य हो तो उसको [illegible]
सम्बन्ध में पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार विवादित

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY ONE RUPEE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

आवश्यक स्टाम सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की Date of posting noted on notice board	नकल वापिस दिये जान की तारीख Date of deliver of copy	नकल वापिस दिये वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official dehvering copy
[illegible] २३-९-९८ [illegible]	[illegible] २४.९.९८ [illegible]	13/10/98 [illegible]	13/10/98

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY ONE RUPEE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

(१)

डा०डी०
21

नकल आदेश दिनांकित 21-2-80 पारित द्वारा न्यायालय
श्री [illegible] सिंह
[illegible] [illegible] महोदय, जिला सीतापुर।
(धा० .500) दीवानी वाद सं०-106/79 अन्तर्गत 23-5-79 तारीख 21-2-80

उनवान

[illegible] बनाम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
निवासी [illegible], परगना [illegible] तहसील व जिला सीतापुर
— वादी

[illegible]

सरकार [illegible] [illegible] [illegible] महोदय सीतापुर।
— प्रतिवादी

सीतापुर

ता०
बोले